

वा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

K.C./A/19A कोडरमा अंचल।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

01/07/17

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं शास्त्री देवी

ग्राम सरथावाडी पो रामपुर थाना जौपारो

जिला इजारी का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा कुमा
2. थाना (शुमरी तिलैया) (कोडरमा)
3. थाना नं० 12
4. खाता नं० 580
5. प्लॉट नं० 1181
6. रकबा 2.07 बी०
7. भूमि का किस्म रैथती
8. अद्यतन रसिद नं० 0899810367
9. दा० खारजि वाद संख्या .....

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

— शास्त्री देवी

629963589

विनय कुमा०


न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।  
भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...146.../2023

01.04.2023

आवेदिका शास्त्री देवी पति महेश कुमार यादव, साकिन-सरधावाटाँड, पोस्ट-रामपुर, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
गुमो	12	580	1181	2.07 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...08.../...04.../2023 को प्रस्तुत करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।


08.04.2023

अभिलेख उपस्थापित

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-580, प्लॉट सं०-1181, रकवा-1.17 डी० एवं प्लॉट सं०-1181, रकवा-0.9 डी० कुल रकवा-2.07 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-24, भाग संख्या-71 पर शास्त्री देवी पति महेश कुमार यादव के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-721 दिनांक-30.12.2021 द्वारा प्राप्त है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-538/2022-23 दर्ज है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-70 दिनांक 27.03.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-580, प्लॉट सं०-1181, रकवा-2.07 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।